

23/12/24

पत्रावली पेश की वकील 4 सकारान उधर  
 जो पर अन्तर्गत धारा 212 आर. सी. एच  
 पर वकील उभयपक्ष को सुना गया  
 प्रस्तुत बंधन व पत्रावली के अवलोकन  
 त. I धारणा पर स्वीकार किया जाता है  
 तथा पत्रावली कादेशिका दिनांक 15.05.2023  
 को जारी स्थान आदेश को मूल  
 बाद के अन्तिम निस्कारण तक स्वीकार  
 किया जाता है पत्रावली फिल्ल शुभा  
 होकर एफ नम्बर से कम ही आदेश  
 रबल न्यायालय में सुनाया गया  
 मैंने हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा  
 जारी किया गया

उभय  
 परवण्ड अधिकारी  
 साँधर लेक

